

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

कार्यालय आदेश

निम्नांकित परीवीक्षाधीन कार्मिको को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,की अभिशंषा पर कार्मिको को उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	जिला	नाम कार्मिक/पदस्थापन	संबन्धित विश्वविद्यालय का नाम/वर्ष
1.	भरतपुर	अतेश कुमार योमी अध्यापक राप्रावि,पीरुका प.स. पहाडी	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
2.	भरतपुर	अशोक कुमार पाली ,अध्यापक,राउप्रावि, कल्प नदीला प.स.कांठा	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
3.	भरतपुर	विष्णु जाट,अध्यापक राउप्रावि,नगला समाहद प.स. रूपवास	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष)
4.	भरतपुर	सुमन मीना,अ. राउप्रावि, नगला समाहद प.स. रूपवास	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
5.	टोंक	मोहन लाल गुर्जर, अध्यापक,राउप्रावि, जयकिशनपुरा प.स. टोंक	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2018-20 (द्वितीय वर्ष)
6.	टोंक	ज्योती बाला शर्मा अध्यापिका,राउप्रावि, हरिपुरा प.स. निवाडी	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2018-20 (द्वितीय वर्ष)

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
2. आगामी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुज्ञा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा,तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
4. कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. सत्र 2020-21 हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक की आज्ञा से

24/5/2020
उपनिदेशक(पराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-4/पत्रा.बी.एड.अनु/समस्त.म/2020/ दिनांक:-17.02.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर /टोंक
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,समग्र शिक्षा अभियान.....।
3. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,.....।
4. संबंधित अध्यापक राप्रावि/राउप्रावि,..... जिला
5. रक्षित पत्रावली।

24/5/2020
उपनिदेशक(पराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर